दिनांक **18.11.2025**
प्रेस विज्ञप्ति **30/2025**

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की गोण्डा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई</u>

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संचालित **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 18.11.2025 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई** द्वारा श्री दीनानाथ निवासी ग्राम अमराई पयागपुर जनपद बहराइच के जमीन की पैमाइस की रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री धनन्जय कुमार सिंह के नेतृत्व में पटिहाल चौराहा, इकौना मार्ग तहसील पयागपुर जनपद बहराइच के पास से **राजस्व निरीक्षक राम मिलन** पुत्र स्व0 सहदेव क्षेत्र तेंदुआ कबीर तहसील पयागपुर जनपद बहराइच मूलपता रामपुरवा (हरैया) तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) थाना सुजौली जनपद बहराइच को 06 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 18.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ यूनिट मेरठ की सूचना पर हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर, कब्जे से 238 किलो 880 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये), 02 अदद चार पहिया वाहन व 01 लाख नगद रुपया बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ यूनिट मेरठ की सूचना पर हरियाणा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम सन्नी गांधी पुत्र अशोक गांधी पता शान्ति नगर, ऋषिकेश थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 238 किलो 880 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये), 02 अदद चार पहिया वाहन व 01 लाख नगद रुपया बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना जनपद नूँह (हरियाणा) पर मु0अ0सं0 198/2025 धारा 20(b)ii(c) एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी गांधी द्वारा पूछने पर बताया गया कि वह यह गांजा आंध्र प्रदेश के अर्कू वैली के जंगलो से लाकर से लाकर दिल्ली NCR में सप्लाई करने जा रहा था कि रास्ते में आप लोगो ने पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. सन्नी गांधी पुत्र अशोक गांधी पता शान्ति नगर, ऋषिकेश थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–

दिनांक– 17.11.2025 स्थान– निकट बडकली चौक नगीना थाना नगीना जनपद नूँह (हरियाणा)।

बरामदगी का विवरण

1. 238 किलो 880 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा (जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये)

2. 01 अदद टोयोटा इटियोस कार
3. 01 अदद महिन्द्रा XUV 500 कार
4. 01 लाख रुपये नगद ।

सूचनार्थ टीम – ए0एन0टी0एफ0 यूनिट मेरठ

1. प्रभारी नि0 श्री योगेन्द्र सिंह, ए.एन.टी.एफ. यूनिट मेरठ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – थाना नगीना जनपद नूँह (हरियाणा)

जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद

• 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.11.2025 को थाना औरंगाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना औरंगाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी ग्राम चूहडपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

• 05 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 03 लाख 51 हजार 300 रूपये नगद

• लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण

• 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 17.11.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अडोली नहर के पास से 05 अभियुक्तों 1–बलजीत उर्फ बोबी 2– चेतन

उर्फ शैतान 3– महेन्द्र 4– सीताराम उर्फ बोडा 5– सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 51 हजार 300 रूपये नगद, लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.10.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बलजीत उर्फ बोबी के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर,राजस्थान व महाराष्ट्र प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त चेतन उर्फ शैतान, महेन्द्र, सीताराम उर्फ बोडा व सोनू के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बलजीत उर्फ बोबी निवासी ग्राम लोहागल थाना क्रिश्चनगंज जनपद अजमेर राजस्थान।

2– चेतन उर्फ शैतान निवासी कस्बा व थाना गुलाबपुरा जनपद भीलवाडा राजस्थान।

3– महेन्द्र निवासी ग्राम पांडलिया थाना बीनाई जनपद अजमेर राजस्थान।

4– सीताराम उर्फ बोडा निवासी ग्राम पांडलिया थाना बीनाई जनपद अजमेर राजस्थान।

5– सोनू निवासी ग्राम खडाज थाना किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 03 लाख 51 हजार 300 रूपये नगद।

2–लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना महरूआ

•चोरी की घटना का अनावरण

•04 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के 80 हजार रूपये नगद

•चोरी के पीली धातु (1.640 किग्रा)–सफेद धातु (4.966 किग्रा) आदि बरामद

दिनांक 18.11.2025 को थाना महरूआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–विशाल 2–राज करन उर्फ करिया 3–विवेक कुमार 4–रामपाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गय। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 80 हजार रूपये नगद, चोरी के पीली धातु (1.640 किग्रा)–सफेद धातु (4.966 किग्रा) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01/02.11.2025 को थाना महरूआ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महरूआ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, धातु आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महरूआ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल नि0 खरगपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–राज करन उर्फ करिया निवासी पीठापुर सरैया थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

3–विवेक कुमार निवासी कोडरा थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

4–रामपाल निवासी ग्राम कर्माजगदीशपुर थाना बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 80 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के पीली धातु (1.640 किग्रा)–सफेद धातु (4.966 किग्रा) आदि।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.11.2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्याना रोड दादू भट्टे के पास से 02 अभियुक्तों 1–सचिन 2–सोवीर उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सचिन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड, मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी ग्राम नित्यानंदपुर उर्फ मितापुर थाना किठौर जनपद मेरठ।

2–सोवीर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम धनपुरा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **512 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 17.11.2025 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हुलासनगला पुल के पास से अभियुक्त सैफ मियाँ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 512 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सैफ मियाँ निवासी ग्राम सायर थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1–512 ग्राम अवैध अफीम।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 103(1)/238/137(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इरशाद को मृत्युदण्ड व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बीरेन्द्र उर्फ विन्दा 2–हर्षित 3–शिवपूजन 4–अभिषेक उर्फ आशू को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना कमलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना कमलापुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–अर्जुन को धारा 302/34/201 भादवि व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त मोहन लाल को धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना कठेला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना कठेला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि

व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इमरान अहमद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना जानसठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना जानसठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/363/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उस्मान उर्फ सुक्का को 20 वर्ष के कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कमासिन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कमासिन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पीयूष को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————